भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3775

(16 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

एस॰ए॰जी॰वाई॰ के अंतर्गत गांवों का विकास

3775. श्री पी॰ के॰ कुनहालिकुटटीः
श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंतः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सांसद आर्दश ग्राम योजना (एस॰ए॰जी॰वाई॰) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में गांवों के विकास के लिये प्रस्तावित लक्ष्यों को अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(ग) छत्तीसगढ़ में एस॰ए॰जी॰वाई॰ के अंतर्गत चिह्नित किए गए कुल गांवों की संख्या कितनी है और 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक गांव को कितनी निधियां प्रदान की गई है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): माननीय सांसदों ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 44 ग्राम पंचायतों का निर्धारण किया है। एसएजीवाई के अंतर्गत गोद ली गई ग्राम पंचायतों के लिए संबंधित माननीय सांसदों के मार्गदर्शन में भागीदारीपरक प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम विकास योजनाएं (वीडीपी) तैयार की जाती हैं। वीडीपी में गांव का समग्र विकास करने के लिए वरीयता आधारित समयबद्ध कार्यकलाप शामिल किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब तक 39 ग्राम पंचायतों ने सांझी पोर्टल पर 3145 परियोजनाओं वाली अपनी वीडीपी अपलोड की है। 12 जुलाई, 2019 की स्थिति के अनुसार इनमें से 1952 परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और 286 परियोजनाओं का कार्य चल रहा है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना फ्रेमवर्क के अंतर्गत संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में मौजूदा सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के तालमेल और कार्यान्वयन के माध्यम से ग्राम पंचायतों के विकास की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एसएजीवाई ग्राम पंचायतों के लिए उलपब्ध कराई गई निधियों के आंकड़ें मंत्रालय में केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

*****